भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 272
(22 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

तमिलनाडु में मनरेगा के अंतर्गत कार्य-दिवसों का सृजन

272. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिझाची थंगापंडियन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत सृजित कार्य-दिवसों का ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;
(ख) क्या कोई बजटीय कमी अथवा मजदूरी भुगतान लंबित है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या ग्रामीण तमिलनाडु के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई) के आवंटन में कमी की गई है या देरी हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) विशेषकर तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में ग्रामीण सड़क विकास में अंतर-राज्यीय असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
(ङ) क्या सरकार ने सहभागी ग्रामीण नियोजन के लिए तमिलनाडु मॉडल को अपनाया है और सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों को राष्ट्रीय स्तर पर साझा किया है और यदि हां , तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य में सृजित श्रमदिवसों का विवरण नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	2024-25	2023-24	2022-23
तमिलनाडु में सृजित श्रमदिवस [लाख में]	3061.11	4087.02	3346.53

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

(ख): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि जारी करना एक सतत प्रक्रिया है और केंद्र सरकार जमीनी स्तर पर काम की मांग के अनुसार योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधि उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय-समय पर दो खेपों में निधि जारी करता है, जिसमें प्रत्येक खेप में एक या एक से अधिक किस्तें होती हैं। यह निधि "सहमत" श्रम बजट, कार्यों की माँग, प्रारंभिक शेष राशि, निधि उपयोग की गति, लंबित देनदारियों, समग्र निष्पादन को ध्यान में रखते हुए और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ समय पर प्रस्ताव प्रस्तुत करने के अध्यधीन जारी की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के लिए ₹86,000 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है , जो इसकी शुरुआत से लेकर अब तक बजट अनुमान (बीई) स्तर पर इस योजना के लिए अब तक का सबसे अधिक आवंटन था। वित्तीय वर्ष 2025-26 में, सरकार ने ग्रामीण रोजगार के लिए निरंतर सहायता सुनिश्चित करते हुए इस आवंटन को ₹86,000 करोड़ पर बनाए रखा है।

चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, अब तक पिछले वर्ष की पूरी लंबित मजदूरी देनदारी सहित 44,000 करोड़ (18.07.2025 की स्थिति के अनुसार) से अधिक की निधि जारी की जा चुकी है।

यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि योजना की मांग आधारित प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास मंत्रालय जमीनी स्तर पर रोजगार की मांग पर बारीकी से नजर रखता है और आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधि की मांग करता है।

(ग): जी नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) के दिशानिर्देशों के अनुसार , वित्तीय वर्ष की शुरुआत में , पिछले वर्ष के निष्पादन , पूर्ण होने के लिए लंबित मकानों और उपलब्ध निधि के उपयोग और चालू वर्ष में आवंटित लक्ष्यों के आधार पर प्रत्येक राज्य/संघ

राज्य क्षेत्र के लिए वार्षिक वित्तीय आवंटन तय किया जाएगा। (पीएमएवाई-जी) के तहत , मंत्रालय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र को एक इकाई मानते हुए सीधे केंद्रीय अंश की निधि जारी करता है। लाभार्थियों को सहायता की किस्तों के रूप में निधि का वितरण राज्य द्वारा किया जाता है। शुरुआत से (2016-17) तमिलनाडु राज्य के लिए 5376.66 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष अर्थात 2025-26 के लिए तमिलनाडु राज्य को 1047.35 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। राज्य को उपलब्ध कराई गई निधि के उपयोग की धीमी प्रगति के कारण मंत्रालय राज्य को निधि जारी नहीं कर सका।

(घ): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)- III के अंतर्गत, तमिलनाडु राज्य को 7375 किलोमीटर लंबी सड़कें आवंटित की गई हैं और पूरी लंबाई स्वीकृत कर दी गई है। चल रही पीएमजीएसवाई III परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा मार्च , 2026 है। पीएमजीएसवाई III के अंतर्गत, राज्यों द्वारा संभावित सड़कों को उनकी गणना की गई उपयोगिता मूल्य, सड़कों की सेवा प्राप्त करने वाली जनसंख्या और फुटपाथ स्थिति सूचकांक के आधार पर प्राथमिकता दी जाती है। तमिलनाडु के दक्षिणी जिलों में पीएमजीएसवाई III के अंतर्गत कई सड़कों को स्वीकृति दी गई है। तमिलनाडु राज्य में पीएमजीएसवाई III सड़कों की जिलेवार स्थिति कार्यक्रम की वेबसाइट www.omms.nic.in > प्रगति निगरानी > राज्य सारांश रिपोर्ट पर उपलब्ध है।

(ङ): महात्मा गांधी नरेगा एक मांग-आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसका आधार बॉटम-अप आयोजना होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा अनुशंसित कार्यों की पहचान , अनुमोदन और प्राथमिकता ग्राम पंचायत द्वारा निर्धारित की जाती है। तदनुसार, मांग के अनुसार पंचायत द्वारा कार्यों का अनुमोदन और इन्हें प्रारंभ किया जाता है। कार्यों की योजना श्रम बजट के आकलन के समय एक वित्तीय वर्ष में कार्यों के लिए सृजित अनुमानित श्रम दिवसों के अनुसार बनाई जाती है।